

विद्युत लोकपाल कार्यालय

(विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का एक वैधानिक निकाय)
बी-53, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
(फोन नंबर: 011- 26144979)

अपील संख्या 11/2021

(सीजी नंबर 42/2020 में सीजीआरएफ-टीपीडीडीएल के आदेश दिनांक 11.09.2020 के खिलाफ)

मामला

श्री हरपाल सिंह राणा

बनाम

टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड

उपस्थित:

अपीलकर्ता: श्री हरपाल सिंह राणा

प्रतिवादी: श्री अजय जोशी, वरिष्ठ प्रबंधक (कानूनी) टीपीडीडीएल की ओर से

सुनवाई की तिथि: 09.08.2021 (वर्चुअल)

आदेश की तिथि: 25.08.2021

आदेश

1. अपील संख्या 11/2021 श्री हरपाल सिंह राणा द्वारा सीजी नंबर 42/2020 में पारित फोरम (सीजीआरएफ-टीपीडीडीएल) दिनांक 11.09.2020 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है। अपीलकर्ता की शिकायत में संबंधित मूल मुद्दा उस अवधि के लिए भेजे गए बिल की माफी के संबंध में है, जिसके दौरान मीटर खराब था और उसके ए-1, गांव और डाकघर कादीपुर, दिल्ली-110036 में स्थापित बिजली कनेक्शन सीए नंबर 60007338647 के खिलाफ मीटर के प्रतिस्थापन में देरी के कारण जुर्माना लगाया गया था।

2. अपील की संक्षिप्त पृष्ठभूमि इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि अपीलकर्ता की बिजली 06.07.2019 को बाधित हो गई, जिसके लिए उन्होंने डिस्कॉम (प्रतिवादी) के पास 'बिजली नहीं' के लिए शिकायत संख्या 2021105024 में शिकायत दर्ज की। अपीलकर्ता के अनुसार, शिकायत पर अंततः 05.11.2019 को 120 दिन के अंतराल के बाद ध्यान दिया गया था। इस बीच उन्होंने अपनी शिकायत पर ध्यान न देने को लेकर 26.10.2019 को उपस्थित होकर पीजीएमएस (लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली), दिल्ली सरकार से भी संपर्क किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें 120 दिनों की अवधि के लिए बिजली का बिल मिला, जबकि वास्तव में वहाँ बिजली नहीं थी और उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। उन्होंने इसका विरोध किया है और अनुरोध किया है कि डिस्कॉम को उस अवधि, जब उसने किसी भी बिजली का उपयोग नहीं किया है, के लिए बिल भेजने के लिए दंडित किया जाए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि नियमानुसार समय सीमा के भीतर मीटर नहीं

बदलने पर भी डिस्कॉम को दंडित किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 4 महीने की अवधि के दौरान जब बिजली नहीं थी, उन्होंने अपने घर में लगे दूसरे मीटर से बिजली का उपयोग किया और दूसरे कनेक्शन के लिए प्राप्त बड़े हुए बिल का विधिवत भुगतान किया। अतएव उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने दूसरे मीटर के बड़े हुए बिल का भुगतान कर दिया है, इसलिए उन्हें 4 महीने के लिए खराब मीटर के लिए उठाए गए बिल का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जिस अवधि के दौरान उनके द्वारा बिजली का उपयोग नहीं किया गया था।

उन्होंने आगे कहा कि, सीजीआरएफ ने अपने आदेश में ऊपर बताई गई परिस्थितियों के कारण उन्हें 8,544.39 रुपये का क्रेडिट दिया था। इसलिए, इसके परिणामस्वरूप यह साबित करता है कि डिस्कॉम द्वारा दोषपूर्ण अवधि के लिए दिया गया बिल नियमों के खिलाफ था। हालांकि, सीजीआरएफ ने 120 दिनों की अवधि के लिए शिकायत पर ध्यान न देने के कारण डिस्कॉम पर कोई जुर्माना नहीं लगाया, हालांकि सीजीआरएफ ने मुख्य रूप से उनकी याचिका पर सहमति व्यक्त की। उपरोक्त के अलावा, वे 4 महीने की अवधि के दौरान कई बार डिस्कॉम नंबर के साथ बात करते रहे और डिस्कॉम के अधिकारियों की टीम ने भी कई बार मीटर की जांच के लिए उनके घर का दौरा किया लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने 30,000/- रुपये और 31,800/- रुपये के सभी बकाया का क्रमशः 02.03.2021 और 09.03.2021 को भुगतान कर दिया है। उपरोक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए उन्होंने प्रार्थना की है कि दोषपूर्ण अवधि के लिए उनके बिल की शेष राशि 16,010.93 रुपये पूरी तरह से वापस ले लिए जायें, जिसमें से 8,544.39 रुपये उन्हें पहले ही क्रेडिट किया जा चुका है। इसके अलावा, दोषपूर्ण अवधि के लिए गलत बिल भेजने और 120 दिनों के लिए मीटर/दोष पर ध्यान नहीं देने के लिए डिस्कॉम को दंडित किया जाना चाहिए। डिस्कॉम द्वारा लगाए गए एसएलडी शुल्कों की यथार्थता के लिए भी जांच की जानी चाहिए।

3. डिस्कॉम ने अपने जवाब में प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने सीजीआरएफ के समक्ष इस अवधि के लिए भेजे गए 20,800/- रुपये के बिल की माफी, दोषपूर्ण मीटर और सीए नंबर 60007338647 वाले बिजली कनेक्शन के खिलाफ 120 दिन तक मीटर बदलने में देरी के संदर्भ में 1,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाने के लिए शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने अधिसूचना दिनांक 06.07.2019 का भी उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने 'बिजली नहीं' शिकायत की सूचना दी थी। डिस्कॉम ने आगे कहा कि अपने उत्तर के माध्यम से उन्होंने सीजीआरएफ के समक्ष प्रस्तुत किया कि पहले अपीलकर्ता ने 11.12.2019 को पीजीएमएस में एक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें पीजीएमएस ने उन्हें अपीलकर्ता के घरेलू कनेक्शन के निमित्त स्थापित दोषपूर्ण मीटर का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया था और जिसे 05.11.2019 को बदल दिया गया था। इस प्रकार, पीजीएमएस निर्देशों के अनुपालन में, दिनांक 11.12.2018 से 19.06.2019 की आधार अवधि लेकर 20.06.2019 से 04.11.2019 की अवधि के लिए 16,011.45 रुपये की राशि का आकलन तदनुसार किया गया था। डिस्कॉम ने आगे कहा कि मीटर को 05.11.2019 को 'रीडिंग दिखाई नहीं दे रही' और 'बहिर्गामी मीटर टर्मिनल' जला हुआ टिप्पणी के साथ बदल दिया गया था। तदनुसार, बदले गए मीटर के स्थान पर नया मीटर लगाया गया था। चूंकि आपूर्ति 07.08.2019 से 04.11.2019 तक उपयोग में नहीं थी, इसलिए 11.12.2018 से 19.06.2019 तक औसत खपत के आधार पर 20.06.2019 से 05.08.2019 तक की अवधि को सीमित

करते हुए पुनर्मूल्यांकन किया गया था। पुनर्मूल्यांकन के कारण, 5,369.29 रुपये की राशि अपीलकर्ता द्वारा देय थी और 16,013.93 रुपये की पूर्व निर्धारण राशि वापस ले ली गई थी। इसके अलावा, 2'10 वर्ग मिमी के पुराने मीटर केबल को 2'25 वर्ग मिमी से बदल दिया गया और अपीलकर्ता केबल शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था। मीटर इंस्टालेशन टीम ने इसे मीटर सर्विस फॉर्म में रिकॉर्ड किया और अपीलकर्ता ने अपने हस्ताक्षर करके इसे स्वीकार किया था। सुनवाई के दौरान उन्होंने मीटर को परिसर के भीतर अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए सर्विस केबल बदलने के संबंध में अपनी सहमति देने के इस तथ्य को सत्यापित किया। इसलिए, 3,000/- रुपये की राशि सर्विस लाइन शुल्क के निमित्त खातों में जोड़ी/नामे लिखी गई थी। उपरोक्त के अलावा, एलपीएससी (विलंब भुगतान अधिभार राशि) 314.21 रुपये और जमानती ब्याज 1,128.60 रुपये की छूट/जमा भी अपीलकर्ता के खाते में जमा की गई थी। हालांकि, सीजीएसटी और एसजीएसटी के कारण, खातों में क्रमशः रु. 270/- जोड़े गए/नामे लिखे गए। ऊपर उल्लिखित राशि के समायोजन के बाद, 8,544.45 रुपये का जमा अपीलकर्ता के पक्ष में आया जिसे मार्च, 2020 के बिल में समायोजित किया गया था। सीजीआरएफ के अंतरिम निर्देशों के अनुसार, उपरोक्त समायोजन का विवरण अपीलकर्ता को दिनांक 29.07.2020 की ई-मेल के माध्यम से भेज दिया गया था।

सीजीआरएफ ने अपने अंतिम आदेश दिनांक 11.09.2020 के तहत कहा कि कनेक्शन के खिलाफ बिल को संशोधित किया गया है और 10,400/- रुपये जमा किये गए हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों/तथ्यों के आधार पर यह स्थापित होता है कि डिस्कॉम की ओर से मीटर बदलने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। अपीलकर्ता सर्विस केबल को बदलने के लिए सहमत हो गया था इसलिए चार्ज किए गए केबल शुल्क का भुगतान नियमों के अनुसार है। चूंकि डिस्कॉम ने बिल को सही ढंग से संशोधित किया है और अपीलकर्ता को लाभ दिया गया है, इसलिए निर्धारित करने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए शिकायत का निपटारा किया जाता है।

4. डिस्कॉम ने आगे कहा कि अपीलकर्ता की प्रार्थना के संबंध में संपूर्ण मूल्यांकन राशि 16,010.83 रुपये को पूरी तरह से वापस लिया जाए, खराब मीटर अवधि के लिए बिल भेजने के लिए जुर्माना लगाया जाए और 120 दिनों तक मीटर न बदलने पर मुआवजा देने आदि पर वे कुछ अतिरिक्त तथ्य प्रस्तुत करना चाहते थे जोकि इस मामले के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हैं। डिस्कॉम ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने प्रारंभ में अपनी शिकायत दिनांक 16.06.2019 को 'बिजली चालू नहीं' के लिए दर्ज कराई और उनके अनुसार कुल अवधि थी दिनांक 16.06.2019 से अर्थात् शिकायत के पंजीकरण की तिथि 05.11.2019 जब अंततः मीटर बदला गया। उक्त विवादित अवधि के दौरान वे श्रीमती सीमा राणा के नाम से पंजीकृत सीए नंबर 60008843926 वाले एक अन्य कनेक्शन से बिजली प्राप्त कर रहे थे। अपीलकर्ता के तर्क के अनुसार, उन्होंने श्रीमती सीमा राणा के नाम पर सीए नंबर 60008843926 वाले कनेक्शन में अपने कनेक्शन का भार स्थानांतरित कर दिया था और इससे पता चलता है कि टैरिफ लाभ प्राप्त करने के लिए भू-तल पर समान उपयोग के लिए दोनों कनेक्शन स्वीकृत किए गए थे और सर्विस केबल के प्रतिस्थापन का उनका अनुरोध बढ़ते भार को बनाए रखने के लिए था। इसके अलावा, वर्तमान अपील प्रारंभिक चरण में खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि इसकी प्रकृति ओछापन है जैसाकि सीजीआरएफ ने अपने आदेश में दर्ज किया है कि अपीलकर्ता मीटर बदलने में देरी के अपने दावे के संबंध में अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रदान करने में सक्षम नहीं था।

5. डिस्कॉम ने अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को फिर से संक्षेप में प्रस्तुत किया है, जैसाकि नीचे बिंदुवार दिया गया है:

(ए) 16,011.45 रुपये की मूल्यांकन राशि के संबंध में डिस्कॉम ने आगे कहा कि पीजीएमएस निर्देशों के अनुसार यह राशि 16,011.45 रुपये दिनांक 11.12.2018 से 19.06.2019 के आधार पर 20.06.2019 से 04.11.2019 की अवधि के लिए थी। मीटर बदलने से पहले अंतिम रीडिंग 19.06.2019 को दर्ज की गई थी। तत्पश्चात, 06.08.2019 को मीटर काट दिया गया था, इसलिए 07.08.2019 से 04.11.2019 तक आपूर्ति का उपयोग नहीं करने पर विचार करते हुए 11.12.2018 से 19.06.2019 तक औसत खपत के आधार पर 20.06.2019 से 05.08.2019 तक की अवधि को सीमित करते हुए पुनर्मूल्यांकन किया गया था। पुनर्मूल्यांकन के कारण, अपीलकर्ता द्वारा देय के रूप में 5,369.29 रुपये की राशि आ गई। इस प्रकार, 16,011.45 रुपये की पूर्व निर्धारण राशि को पहले ही 5,369.29 रुपये कर दिया गया है।

(बी) दोषपूर्ण मीटर अवधि के लिए बिल भेजने के लिए जुर्माना लगाने के संबंध में अपीलकर्ता के तर्क के संबंध में, डिस्कॉम ने प्रस्तुत किया कि जून, 2019 से नवंबर, 2019 की अवधि के लिए, बिल जारी नहीं किया गया था क्योंकि मीटर रीडिंग अधिकारी मीटर से रीडिंग नहीं ले सके थे। इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया था जिसकी पुष्टि अपीलकर्ता ने भी की है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि डिस्कॉम ने कानून के प्रावधानों के अनुसार दोषपूर्ण मीटर अवधि के लिए एक आकलन किया है। अपीलकर्ता ने विनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है जिसके तहत वह जुर्माना लगाने की मांग कर रहा है, इसलिए इस संबंध में उसका तर्क मान्य नहीं है।

(सी) 120 दिनों के मुआवजे के दावे के संबंध में, जिसमें मीटर को ठीक नहीं किया गया था, डिस्कॉम ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने उक्त बिजली कनेक्शन के खिलाफ 16.06.2019 को 'बिजली नहीं' शिकायत दर्ज की थी। इसके अलावा, 06.07.2019 को एक और 'बिजली नहीं' शिकायत दर्ज की गई थी। क्षेत्र में बिजली की स्थिति के संबंध में जोन से पुष्टि लेने के बाद कॉल सेंटर द्वारा इन 'बिजली नहीं' शिकायतों को बंद कर दिया गया था। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि खराब/जले हुए मीटर के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता की पत्नी के नाम पर पंजीकृत सीए नंबर 60008843926 वाले एक अन्य बिजली कनेक्शन के खिलाफ 01.06.2019 को इसी तरह की शिकायत दर्ज की गई थी। आगे यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अगले बिलिंग चक्र में, बिना प्रदर्शन के मीटर दोषपूर्ण पाया गया और मीटर रीडिंग की जांच के लिए दिनांक 20.07.2019 को अधिसूचना तैयार की गई। प्रतिपुष्टि के अनुसार, 23.07.2019 को मीटर दोषपूर्ण आंतरिक अधिसूचना उत्पन्न हुई थी और इस अधिसूचना के निमित्त 06.08.2019 को साइट का दौरा किया गया था, हालांकि आपूर्ति कटी हुई पाई गई थी, इसलिए मीटर को बदला नहीं जा सका। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि ये दौरे अपीलकर्ता की किसी शिकायत के परिणामस्वरूप नहीं हुए थे, अपितु यह डिस्कॉम की ओर से नियमित अनुवर्ती कार्रवाई थी। बाद में 29.10.2019 को मीटर जलने की अधिसूचना जारी की गई, जिसे

बहिर्गामी जुड़ा नहीं पाया गया था और 05.11.2019 को मीटर को बदल दिया गया और इस तरह मीटर बदलने में कोई देरी नहीं हुई। तदनुसार, विनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन किया गया था जिसे बाद में 06.08.2019 को बिजली कनेक्शन काट दिए जाने के परिणामस्वरूप 07.08.2019 से 04.11.2019 तक आपूर्ति का उपयोग नहीं करने पर विचार करते हुए पुनर्मूल्यांकन किया गया था।

इसके अलावा, सीजीआरएफ ने अपने अंतिम आदेश में यह भी दर्ज किया कि अपीलकर्ता को दोषपूर्ण मीटर के संबंध में प्रतिनिधित्व/शिकायत करने के अपने तर्क के समर्थन में दस्तावेज प्रदान करने का अवसर प्रदान किया गया था, हालांकि, वह इसे प्रदान नहीं कर सका। इस प्रकार, अपीलकर्ता द्वारा 'बिजली नहीं' के संबंध में अपनी शिकायत करने के समर्थन में प्रदान की गई संदर्भ अधिसूचना को दोषपूर्ण मीटर हेतु अनुरोध के रूप में नहीं माना जा सकता है। यहां यह ध्यान दिलाना प्रासंगिक है कि 16.06.2019 को तथाकथित 'बिजली नहीं' शिकायत होने के बाद, 19.06.2019 को रीडिंग ली गई और 18 यूनिटों के लिए 1,428.00 रुपये की राशि हेतु 19.05.2019 से 19.06.2019 तक की अवधि के लिए एक बिल जारी किया गया था। अपीलकर्ता को खराब/जले हुए मीटर और भार को अन्य कनेक्शन में स्थानांतरित करने के संबंध में शिकायत करने से पहले कम (गिरावट) खपत के कारण बताने चाहिए। मुआवजे की मांग करने से पहले, अपीलकर्ता को पूरी परिस्थितियों की व्याख्या करने और निर्मल हृदय की आवश्यकता है।

आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि मीटर को 29.10.2019 को 'मीटर से बहिर्गामी विद्यमान नहीं' के रूप में दोषपूर्ण घोषित किया गया था और इसे 05.11.2019 को बदल दिया गया था। इस प्रकार, मीटर को समय सीमा के भीतर अच्छी तरह से बदल दिया गया था।

(डी) बेहतर केबल शुल्क के संबंध में अपीलकर्ता के दावे के संबंध में, डिस्कॉम ने प्रस्तुत किया कि मीटर को 'रीडिंग दिखाई नहीं दे रही' टिप्पणी के साथ बदल दिया गया था। 2'10 वर्ग मिमी के पुराने मीटर केबल को 2'25 वर्ग मिमी से बदल दिया गया था और अपीलकर्ता केबल शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था। मीटर स्थापन दल ने इसे मीटर सर्विस फॉर्म में रिकॉर्ड किया और अपीलकर्ता ने अपने हस्ताक्षर करके इसे स्वीकार किया था। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपीलकर्ता ने सीजीआरएफ में सुनवाई के दौरान मीटर को परिसर के भीतर अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए सर्विस केबल बदलने के संबंध में अपनी सहमति देने के इस तथ्य को सत्यापित किया, इसलिए, 3,000/- रुपये की राशि को कानून के प्रावधान के अनुसार सर्विस लाइन शुल्क के निमित्त खाते में जोड़ा/नाम लिखा गया था। अतः सर्विस केबल शुल्क में छूट के संबंध में अपीलकर्ता का तर्क मान्य नहीं है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, डिस्कॉम ने अंततः प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता इस संबंध में किसी भी राहत का हकदार नहीं है और वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है। यह फिर से दोहराया जाता है कि अपीलकर्ता को किसी भी तरह से नुकसानदेह स्थिति

में नहीं रखा गया है और इसके अलावा न तो अपीलकर्ता ने दोषपूर्ण मीटर के संबंध में कोई औपचारिक अनुरोध दायर किया है और न ही उसने कानून के प्रावधान के अनुसार मुआवजे के लिए आवेदन किया है, इसलिए मुआवजे और अन्य राहत के संबंध में अपीलकर्ता का दावा और तर्क टिकाऊ नहीं है इसलिए खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि सीजीआरएफ ने अपने आदेश दिनांक 11.09.2020 के माध्यम से सही ढंग से कहा है कि अपीलकर्ता के बिल का सही मूल्यांकन किया गया है और तदनुसार उसे जमा का लाभ दिया गया है। इसके अलावा, अपीलकर्ता केवल शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार था और यह नियमों के अनुसार है, इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा देय है। सीजीआरएफ ने आगे मीटर में प्रतिस्थापन में देरी के संबंध में अपीलकर्ता के तर्क में कोई सार नहीं पाया।

6. दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने और रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद, यह देखा गया कि अपीलकर्ता ने शुरू में 06.07.2019 को 'बिजली नहीं' के लिए शिकायत दर्ज की थी और चूंकि उनकी शिकायत पर डिस्कॉम द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने अपना भार, एक और कनेक्शन पर स्थानांतरित कर दिया जो उसी परिसर में उनकी पत्नी के नाम पर मौजूद था। इसके अलावा, डिस्कॉम के कॉल सेंटर ने क्षेत्र में बिजली की स्थिति के संबंध में जोन से ली गई प्रतिपुष्टि के आधार पर अपीलकर्ता की शिकायत को बंद कर दिया। यह स्थिति लगभग चार माह तक रही।

जिसके बाद 05.11.2019 को मीटर को डिस्कॉम द्वारा बदल दिया गया। डिस्कॉम ने 20,800/- रुपये का बिल जारी किया हालांकि उस मीटर से आपूर्ति का उपयोग नहीं हो रहा था। यह भी नोट किया जाता है कि प्रथम दृष्टया अपीलकर्ता ने पीजीएमएस में परिवाद पंजीकृत कराया और उनके निर्देश पर डिस्कॉम ने 11.12.2018 से 19.06.2019 तक की अवधि का आधार लेकर 20.06.2019 से 04.11.2019 की अवधि के लिए 16,011.45 रुपये की राशि के बिल का पुनर्मूल्यांकन किया। डिस्कॉम को केवल अगले विपन्न चक्र के दौरान मीटर के बारे में पता चला की बहिर्गामी विद्युत में जले हुए अवसानक के साथ संबंध विच्छेद हुआ पड़ा है और रीडिंग दिखाई नहीं दे रही है और उस समय 06.08.2019 को मीटर खराब घोषित किया गया।

उपरोक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए, डिस्कॉम ने 07.08.2019 से 04.11.2019 तक उपयोग में नहीं होने वाली आपूर्ति को 11.12.2018 से 19.06.2019 तक खपत के औसत के आधार पर 20.06.2019 से 05.08.2019 तक सीमित करके बिल का पुनः मूल्यांकन किया। यहां यह बात करना महत्वपूर्ण है कि 19.06.2019 की वह तिथि है जिस दिन डिस्कॉम द्वारा अंतिम वास्तविक रीडिंग ली गई थी, जबकि अपीलकर्ता द्वारा 06.07.2019 को 'बिजली नहीं' की शिकायत दर्ज की गई थी। मूल मुद्दा जो इस मामले में निर्णित करने है वो है: लगभग 4 महीने के बिल जारी करने के संबंध में जबकि मीटर उपयोग में नहीं था और डिस्कॉम द्वारा मीटर को बदलने के लिए बहुत लंबा समय लिया गया था।

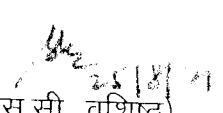
7. इस संबंध में, यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि शुरू में 06.07.2019 को 'बिजली नहीं' के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत को केवल इस बहाने से गलत तरीके से बंद कर दिया गया था कि क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति ठीक चल रही है। डिस्कॉम को अपीलकर्ता से स्पष्ट

रूप से पुष्टि करनी चाहिए थी कि उसकी बिजली बहाल की गई है या नहीं। अगर डिस्कॉम ने अपीलकर्ता से इसकी पुष्टि की होती तो इस पूरी समस्या से बचा जा सकता था। दूसरा, डिस्कॉम को अगले बिलिंग चक्र पर 06.08.2019 को ही पता चला, जब उनके प्रतिनिधि ने साइट का दौरा किया, कि मीटर कटा हुआ पड़ा है और बहिर्गामी में मीटर के अवसानक जले हुए पाए गए और मीटर रीडिंग दिखाई नहीं दे रही (एनवी) के अनुसार, 06.08.2019 को मीटर को खराब/दोषपूर्ण घोषित किया गया। दूसरी ओर, अपीलकर्ता को भी अपने भार को दूसरे मीटर पर स्थानांतरित करने के बजाय, जोकि नियम के अनुसार नहीं है और अवैध है, 06.07.2019 को बिजली बहाल नहीं होने पर डिस्कॉम के पीछे पड़ना चाहिए था। यदि अपीलकर्ता ने समय पर अपनी शिकायत की होती तो 4 माह से लटकी इस स्थिति से बचा जा सकता था। उपरोक्त के मद्देनज़र, दोनों पक्षों ने अपनी ओर से गलती की है।

अब, अपीलकर्ता के तर्क पर आते हैं कि उसे 4 महीने के लिए 20,800/-रुपये का गलत बिल जारी किया गया है जिसे पूरी तरह से वापस ले लिया जाना चाहिए, यह माना जाता है कि चूंकि मीटर को केवल 06.08.2019 को डिस्कॉम द्वारा दोषपूर्ण पाया गया था और अपीलकर्ता ने कभी भी डिस्कॉम से संपर्क नहीं किया था कि उसका मीटर खराब है, इसलिए इसे बदलने की आवश्यकता है, इसलिए 20.06.2019 से 05.08.2019 तक बिल का आकलन करने और 07.08.2019 से 04.11.2019 तक की शेष अवधि को उसी अवधि के रूप में मानते हुए, जिसमें उक्त मीटर से कोई आपूर्ति का उपयोग नहीं किया गया था, सीजीआरएफ का निर्णय पूरी तरह से उचित है। तथापि, 20.06.2019 से 05.08.2019 तक की अवधि के बिल का आकलन करने के लिए आधार अवधि 11.12.2018 से 19.06.2019 तक ली गई है, जोकि विनियमों के अनुसार नहीं है। खराब/दोषपूर्ण मीटर के मामले में बिल का आकलन करने के लिए, डीईआरसी विनियम, 2017 का विनियम 39 लागू है, जिसके अनुसार उपभोक्ता को पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान दर्ज की गई वास्तविक औसत खपत के आधार पर, अंतरिम बिलिंग को छोड़कर, बिल जारी किया जाएगा, उपरोक्त के मद्देनज़र, डिस्कॉम को निर्देश दिया जाता है कि वह 20.06.2019 से 05.08.2019 की अवधि के लिए बिल का सख्ती से विनियम 39 (1) के अनुसार पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान दर्ज की गई वास्तविक खपत के आधार पर पुनर्मूल्यांकन करें। इस आदेश के जारी होने के 15 दिनों के भीतर संशोधित बिल जारी कर दिया जाए। इसके अलावा, उपरोक्त पृष्ठभूमि और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता ने कभी भी डिस्कॉम से संपर्क नहीं किया कि उसका मीटर खराब है और उसे बदल दिया जाना चाहिए, इस संबंध में अपीलकर्ता का यह तर्क कि उसका बिल पूरी तरह से वापस ले लिया जाए, मान्य नहीं है, अतःएव निरस्त किया जाता है। डिस्कॉम द्वारा खराब मीटर को बदलने में लगने वाले लंबे समय के मुद्दे के संबंध में, यह पाया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा खराब मीटर और उसे बदलने के लिए कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। हालांकि, 06.08.2019 को डिस्कॉम को पता चला कि मीटर खराब/दोषपूर्ण है और अपीलकर्ता की आपूर्ति को बहाल करने के लिए इसे किसी भी स्थिति में प्रतिस्थापन/बदलना होगा, लेकिन उन्हें इस मीटर को बदलने में लगभग 3 महीने लग गए। डीईआरसी (आपूर्ति कोड तथा निस्पादन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 34(1) के अनुसार, जो यह निर्धारित करता है कि संदिग्ध दोषपूर्ण मीटर या जले हुए मीटर या चोरी हुए मीटर की स्थिति में, लाइसेंसधारी इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर

एक नए मीटर के माध्यम से आपूर्ति बहाल करेगा। इसके अलावा, "दोष के मामले में उपभोक्ताओं को प्रदर्शन और मुआवजे के गारंटीकृत मानकों" की अनुसूची-। का क्रमांक 11 (i) विनिर्दिष्ट करता है कि खराब मीटर को खराब घोषित करने के 15 दिनों के भीतर बदला जाना चाहिए और यदि इसे इस समय सीमा के भीतर नहीं बदला जाता है तो 16वें दिन से दोष की अवधि के लिए उपभोक्ता को प्रत्येक दिन के लिए 50/- रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस मौजूदा मामले में, डिस्कॉम को मीटर खराब होने के बारे में 06.08.2019 को पता चला और इसे 90 दिनों के अंतर के बाद 05.11.2019 को बदला गया था, इसलिए, डिस्कॉम अपीलकर्ता को 75 दिनों की अवधि के लिए लागू विनियम के अनुसार प्रतिदिन 50/- की दर से मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अतः डिस्कॉम को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलकर्ता को तदनुसार क्षतिपूर्ति करे और ऊपर दिए गए मुआवजे को उसके भविष्य के बिल में समायोजित किया जाए।

अपीलकर्ता के अनुचित तार बदलने के शुल्क के दावे के संबंध में, यह देखा गया है कि मीटर के प्रतिस्थापन के समय, अपीलकर्ता ने स्वयं मौजूदा प्रवेश बिंदु के स्थान से अपने परिसर के भीतर बाहरी दीवार पर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के साथ उच्च मानक तार को बदलने का अनुरोध किया था और लागू शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे, इसलिए सर्विस केबल शुल्क आदि की छूट के संबंध में अपीलकर्ता का तर्क मान्य नहीं है। डिस्कॉम द्वारा लगाए गए शुल्क नियमों के अनुसार हैं और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। डिस्कॉम द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के संबंध में कि अपीलकर्ता ने मीटर से बहिर्गामी तारों को काटकर पूरे परिसर के भार को दूसरे बिजली कनेक्शन पर स्थानांतरित कर दिया था और यह विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के संदर्भ में विनियम और अधिनियम के प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन है। चूंकि यह इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए, इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। हालांकि डिस्कॉम, यदि चाहे तो, स्वेच्छा से नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील तदनुसार निस्तारित की जाती है।


(एस.सी. वशिष्ठ)
बिजली लोकपाल
25.08.2021